आर0सी0टी0 कमांक 1003/2018
मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध कश्मीर उर्फ कश्मीरा जाट

06.10.2023 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील इस टीप के साथ प्राप्त कि अभियुक्त के निवास स्थान व अन्य स्थानों पर पता करने पर उनका कुछ पता नहीं चला है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन उपरांत दर्शित है कि प्रकरण अभियुक्त कश्मीर उर्फ कश्मीरा जाट पिता लालाराम जाट, उम्र–लगभग 43 साल, निवासी रिछेरा थाना केंट जिला गुना म0प्र0 का गिरफ्तारी वारंट की उपस्थिति हेतु प्रकरण वर्ष 2023 से नियत होता आ रहा है एवं वर्ष 2023 से आज दिनांक 06.10.2023 तक कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने पर भी अभियुक्त पर तामील नहीं हो पा रही है। प्रकरण 2018 से लंबित है। अभियुक्त को बार–बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने पर भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हो पा रहे है। जिससे दर्शित होता है कि अभियुक्त स्वयं को छिपा रहा है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक रमेश उपाध्याय की फरारी साक्ष्य अंकित कर अभियुक्त कश्मीरा उर्फ कश्मीरा जाट पिता लालाराम जाट, उम्र–लगभग 43 साल, निवासी रिछेरा थाना केंट जिला गुना म0प्र0 का गिरफ्तारी वारंट.के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा 299 के तहत स्थायी फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त कश्मीर उर्फ कश्मीरा जाट पिता लालाराम जाट, उम्र–लगभग 43 साल, निवासी रिछेरा थाना केंट जिला गुना म0प्र0 का गिरफ्तारी वारंट की उपस्थिति हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

स्थाई वारंट जारी कर आदेश पत्रिका के मार्जिन पर प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर मय कमांक के अंकित किया जाए। प्रवर्तन लिपिक उक्त आदेश का पालन करें।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट लगाया जाए कि अभियुक्त फरार है। प्रकरण नष्ट न किया जाए। प्रकरण का परिणाम सी आई एस में दर्ज कर विहित समय में अभिलेखागार भेजा जाए।

रवि तंवर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ जिला गुना म.प्र.

RAVI TANWAR

Digitally signed by RAVI TANWAR
Date: 2023.10.06 17:37:09 +0530